राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता तथा ओआईसी का नाम
1.	2525/2019 राजेन्द्र कुमार	1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा (राज.)। 3. पुलिस अधीक्षक, झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज.)।	12.09.2019	श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री घनश्याम, ओआईसी
2.	2526/2019 प्रभुलाल			
3.	2527/2019 भरत सिंह			
4.	2528/2019 शंभू सिंह			
5.	2529/2019 जय नारायण			
6.	2530/2019 लालचंद			

आदेश की दिनांक : 22.10.2024

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2525/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर वर्ष 2015–16 के क्रम में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2019 को अवैध घोषित करते हुये प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल एमटी के पद पर पदोन्नति हेतु भाग लेने की अनुमति प्रदान की जावे और उनकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुये किया जावे तथा हैड कांस्टेबल एमटी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल, भरत सिंह, शम्भु सिंह, जय नारायण एवं लाल चन्द द्वारा इन अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वितन्तु संदेश दिनांक 17.08.2019 को इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलार्थीगण को कानि. एमटी (तकनीकी) से हैड कानि. एमटी (तकनीकी) के पद पर वर्ष 2015–16 के लिए आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा था। अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण वर्ष 1993 से ही ड्राइवर के पद का भत्ता प्राप्त कर रहे थे, जो एमटी–विंग का भत्ता था। उन्हें एमटी तकनीकि कानि. के रूप कार्य कराया जा रहा था, परंतु कानि. एमटी तकनीकि से हैड कांनि. एमटी तकनीकि के पद पर पदोन्नति में उन्हें इस आधार पर शामिल नहीं किया जा रहा था कि अपीलार्थी मूलतः सामान्य विंग का भर्तीशुदा कानि. है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 20914/2018 राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम एमटी विंग से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.09.2018 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया थाः–

> *"Counsel for the petitioner states that the petitioner was working in MT Wing of Rajasthan Police since 1992 and had also opted for remaining in the MT Wing. Counsel for the petitioners submits that his name was also included in the seniority of MT Wing but it has now been deleted and petitioner has been treated as member of the Civil Police with direction to appear for the examination for promotion vide order dated 10.8.2018.*
>
> *Issue notice of writ petition as well as stay application.*
>
> *In the meanwhile, the petitioner shall not be asked to appear for examination in terms of the order dated 10.8.2018 shall be allowed to continue to be posted in MT Wing."*

अपीलार्थीगण ने बाद में एमटी विंग में पदोन्नति के लिए उन्हें ब्वदेपकमत किये जाने के लिए होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किये जाने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अपीलार्थीगण ने पूर्व में एमटी विंग की वरिष्ठता सूची में रखे जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर रखी है, ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में जब तक यह निर्णय नहीं दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को एमटी विंग की वरिष्ठता प्राप्त कर सकता

है या नहीं, प्रस्तुत अपीलों में आगे की कार्यवाही करना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थीगण को जब एमटी–विंग में अपना उचित स्थान प्राप्त होगा, तभी वे एमटी विंग की योग्यात्मक परीक्षा के लिए योग्य होंगे। चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है, जिसमें अपीलार्थीगण ने एमटी विंग में उचित वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20914/2018 राजेन्द्र कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और जिसके संबंध में उक्त प्रकरण का जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जो निर्णयाधीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के संबंध में उक्त मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20914/2018 राजेन्द्र कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य लंबित था और अधिकरण के आदेश दिनांक 16.11.2023 जिसमें यह आदेश दिया गया कि परिणामस्वरूप अपीलों में आगे की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त रिट याचिका में अंतिम रूप से निस्तारण होने तक स्थगित रखा जाता है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13328/2024 एवं 3873/2019 उक्त दोनों में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 एवं 20.12.2023 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में सहमति भी जताई है और इस प्रकार हमारे मत में उक्त अपीलों का निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2023 एवं 13.09.2019 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2525/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष